न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 433 / 2026
जोगबनी थाना कांड संख्या– 144 / 2023

मुर्तजा उर्फ मो0 मुर्तजा ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

13-07-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक / अभियुक्त मुर्तजा उर्फ मो0 मुर्तजा, पिता–मो0 अमसुल की ओर से जोगबनी थाना कांड संख्या– 144 / 2023, अंतर्गत धारा 328, 284, 307, 420, 120(b), 272, 273, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 सलमान रागिब एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि में अभियोजन वाद सूचक गोपीचंद प्रखंड साधनसेवी पी0एम0 पोषण योजना, फारबिसगंज के अनुसार यह है कि दिनांक 27.05.2023 को उत्कमित माध्य विद्यालय, अमौना, प्रखंड–फारबिसगंज में मध्याहन भोजन में सॉप मिलने की सूचना के उपरांत अविलंब घटना स्थल एवं अनुमंडल अस्पताल पहुंच कर मामले की जाँच कर अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फारबिसगंज के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन उक्त विद्य ालय में कार्यरत तीनों रसोईया सह सहायक मेहरुन निशा, ममता कुमारी एवं समरु निशा के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के मात्र 18 छात्र को ही डक्ड का भोजन दिया गया, इसके बाद 19 वॉ बच्चा के थाली में सॉप निकल गया। सभी शिक्षकों के द्वारा भी अवगत कराया गया कि मात्र 18 बच्चे ही डक्ड का भोजन खाये है। बच्चों से पूछताछ के क्रम में बच्चों के द्वारा अवगत कराया गया कि वे भोजन में सॉप होने की खबर सुनकर काफी घबरा गये और उनके शिक्षक अस्पताल में भर्ती करवा दिये। सभी बच्चे ने कलेजा में दर्द होने की शिकायत की और डक्ड का भोजन चखने वाले रसोईया के द्वारा भी डक्ड का भोजन खाने के बाद कलेजा में दर्द होने की बात कही गयी। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कलेजा में दर्द होने की बात ही अनुमण्डल अस्पताल में कहना है, ऐसा बच्चों को कहकर भेजा गया है, क्योंकि अनुमण्डल अस्पताल के इलाजरत् सभी चिकित्सकों के द्वारा अवगत कराया गया कि सभी बच्चे बिल्कुल ही स्वस्थ है और किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार से बीमार होने का लक्षण नहीं है और शारीरिक एवं मानसिक रुप से सभी बच्चे बिल्कुल ही स्वस्थ है। रसोईया मेहरु निशा का पति है और विद्यालय में ही हमेशा रहता है उसे सभी बात पता है और उसी ने दो सॉप को लायाऔर एक सॉप को खिड़की से बाहर फेंक दिया तथा रसोईया मेहरु निशा एवं पति– मो० मुर्तजा (मोचुआ) का इस घटित घटना में पूरी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया गया है। माध्याहन भोजन मे सॉप मिलने की घटना के संदर्भ में किये गए साजिस के आरोप में विद्यालय से भेन रसोईया–सह–सहायक मेहरून नीसा तथा उसके पति मो० मुर्तजा के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज कराने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन सं0–42 / 2026 श्रीमान के न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसे खारिज किया चुका है तथा आपराधिक विविध वाद सं0–26895 / 2026 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया था, जिसमें आवेदकगण को न्यायालय में आत्मसमर्पण के आदेश के साथ खारिज किया था, इसके अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत

है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक रसोईया का पति है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिहाड़ी मजदूर है और बूढ़ा व्यक्ति है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदक दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 328, 284, 307, 420, 120(b), 272, 273, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दाखिल जमानत आवेदन के कंडिका 03 में आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने का उल्लेख किया है। अभिलेख के साथ संलग्न परीक्षण के लिए प्रदर्श/सामग्री भेजने का अग्रसारण पत्र है, जिसमें अनुसंधानकर्ता ने जप्त मध्याह्न भोजन थाली सहित विष वाला मध्याह्न भोजन खिचड़ी का जांच कराने हेतु निदेशक महोदय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला बिहार, भागलपुर को भेजने हेतु माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रसारण प्रतिवेदन विधिवत तैयार कर भेजा गया है, लेकिन अनुसंधानकर्ता को बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, भागलपुर से प्राप्त कोई जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)
Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।